मुख्यमंत्री संकल्प पत्र/शीर्ष प्राथमिकता

प्रेषक,

मिशन निदेशक
उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी,
1, विराज खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

सेवा में,

क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी/
जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी,
जनपद–लखनऊ/मैनपुरी/कन्नौज/बांदा/फतेहपुर/
आजमगढ़/देवरिया/वाराणसी/सीतापुर/मऊ/श्रावस्ती/
बस्ती/झाँसी/सिद्धार्थनगर/बदायूँ/रामपुर/इटावा/
कानपुर नगर/कानपुर देहात/हरदोई/बाराबंकी/रायबरेली/
कासगंज/मथुरा/अलीगढ़/बहराइच/बिजनौर/गोरखपुर/
हापुड़/मिर्जापुर/इलाहाबाद/जौनपुर/उन्नाव/मेरठ/मुजफ्फरनगर/
गाजीपुर/हमीरपुर/ललितपुर/सुल्तानपुर एवं आगरा।

पत्रांकः 139 /41/मि0नि0/2017–18 लखनऊ दिनांकः 10, जुलाई, 2017

विषयः राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसाइटी द्वारा संचालित आयुष स्वास्थ्य केन्द्रों (योगा वेलनेस सेंटर्स) हेतु धन आवंटन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, आयुष अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–आ0मि0–56/96–आयुष–2– 2017–127/2016 दिनांक 03.07.2017 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें निर्देश दिये गये हैं कि राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसाइटी द्वारा प्रदेश के 40 जनपदों में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहित कुल 42 आयुष स्वास्थ्य केन्द्र संचालित किये जाने हैं। लखनऊ एवं फतेहपुर जनपद में दो–दो केन्द्र तथा अन्य जनपदों में एक–एक केन्द्र की स्थापना की जानी है।

कृपया उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुसार आप अपने जनपद के जिलाधिकारी से तत्काल संपर्क कर उनकी अध्यक्षता में इन सेंटर्स को क्रियाशील किये जाने हेतु समिति का गठन कराते हुए निर्धारित योग्यता एवं अनुभवानुसार एक योग प्रशिक्षक एवं एक सहायक की तैनाती कराना सुनिश्चित करें। योग प्रशिक्षक को प्रतिमाह रु0 27,000/– एवं सहायक को रु0 10,000/– एक मुश्त पारिश्रमिक दिया जायेगा। योग केन्द्र के संचालन हेतु प्रारम्भिक साज सामान के लिए रु0 60,000/– की एक मुश्त धनराशि व्यय की जा सकेगी। ये सभी केन्द्र तत्काल शुरू किये जाने हैं, अतः इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आपके जनपद के लिए निर्धारित विधा के चिकित्सालय में आयुष स्वास्थ्य केन्द्र अतिशीघ्र स्थापित कराना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही की सूचना मिशन निदेशालय को भी भेजें ताकि उक्त केन्द्र के उदघाटन के संबंध में निदेशालय स्तर से उचित निर्णय लिया जा सके।

इन केन्द्रों की स्थापना हेतु 42 जनपदों के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों एवं जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के संयुक्त बैंक खाते में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से प्रथम किश्त के रूप में निम्नानुसार धनराशि का स्थानान्तरण निम्न शर्तों के अधीन किया जा रहा हैः–

क्रमशः